न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर

कमांक :– 26 दिनांक :– 03.05.2025

: : कार्यालय आदेश : :

इस कार्यालय के पूर्व आदेश कमांक 27 दिनांक 21.11.2020 में आरक्षी केन्द्रों की परिसीमा के अन्तर्गत पराक्रम्य विलेख अधिनियम के तहत व्युत्पन्न होने वाले न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–4, अजमेर के प्रकरणों को विधिवत विचारण एवं निस्तारण की क्षेत्राधिकारिता में आंशिक रूप से संशोधन निम्नानुसार किया जाता है :–

कम संख्या	पूर्व क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्रों का नाम	नवीन क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्रों का नाम
01	क्रिश्चियनगंज, अलवर गेट, सिविल लाईन, अजमेर	क्रिश्चियनगंज, अलवर गेट, सिविल लाईन व हरिभाऊ उपाध्याय नगर, अजमेर

नोट :– 1. आदेश की दिनांक से पूर्व आरक्षी केन्द्र हरिभाऊ उपाध्याय नगर की परिसीमा के अन्तर्गत पराक्रम्य विलेख अधिनियम के तहत व्युत्पन्न होने वाले प्रकरणों/पेशशुदा प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–4, अजमेर को रहेगा।

2. इस कार्यालय का आदेश कमांक 27 दिनांक 21.11.2020 का शेष भाग यथावत रहेगा।

{प्रकाश चन्द्र मीणा}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर।

कमांक :– 2061–2064 दिनांक :– 03.05.2025

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को सादर प्रेषित है :–

01. माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर।
02. विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या–4, अजमेर
03. पुलिस थाना हरिभाऊ उपाध्याय नगर, अजमेर
04. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को जिला न्यायालय की Website पर uplodad करें।
05 कार्यालय प्रति।

{प्रकाश चन्द्र मीणा}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर।